संख्या-131/2016/आर-2071/26-3-2016-46/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जुलाई 2016

विषयः-शासकीय कार्य हेतु एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी एवं थारू विकास परियोजन, विशुनपुर विश्राम, बलरामपुर के परियोजनाधिकारियों को पेट्रोल/वाहन किराये मद में व्यय की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-331/12/ज.जा.वि.2015-16, दिनांक-02.02.2016 एवं पत्रांक-70/12/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-24.06.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यकविचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनजाति कल्याण विभाग में संचालित एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चैकी, खीरी एवं थारू जनजाति विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर के परियोजना अधिकारियों को शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु डीजल/वाहन किराये मद में अधिकतम रूपया-25,000/- प्रति माह की धनराशि अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त पर आने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्ग का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-आयोजनेत्तर-1701-एकीकृत विकास योजना लखीमपुर खीरी एवं 1702 थारू विकास परियोजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-131/2016/आर.2071(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
2- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।